अपर निजी सचिव, मुख्य परीक्षा–2024 के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश

1– आशुलिपि परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी।

2– आशुलेखन परीक्षा डिक्टेशन की समयावधि 05 मिनट की होगी जिसमें अर्ह गति हिन्दी में 80 शब्द प्रतिमिनट एवं अंग्रेजी में 100 शब्द प्रतिमिनट प्राप्त करने के लिये हिन्दी आशुलिपि हेतु 400 शब्द एवं अंग्रेजी आशुलिपि हेतु 500 शब्दों की विषयवस्तु/गद्यांश मौखिक रूप से बोला जायेगा। आशुलेखन परीक्षा हेतु 01 मिनट का ट्रायल डिक्टेशन (Demo Dectation) बोला जायेगा, जिससे परीक्षार्थी उच्चारण ध्वनि (Sound) आदि को ठीक से समझ लें। यदि परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका समाधान Main Dictation प्रारम्भ होने से पूर्व ही अवश्य करवा लें। आशुलिपि का Main Dictation प्रारम्भ होने के उपरान्त कोई भी परीक्षार्थी बीच में नहीं बोलेगा। ट्रायल डिक्टेशन का लिप्यान्तरण/प्रतिलेखन नहीं किया जायेगा।

3– आयोग द्वारा आशुलिपि परीक्षा हेतु उपलब्ध कराई गई आशुलिपि 'नोटपैड' पर अभ्यर्थी द्वारा डिक्टेशन आशुलिपि में ही लिखा जाना अनिवार्य है। लॉंगहैन्ड (हिन्दी/अंग्रेजी) में लिखने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त मानी जायेगी।

4– आशुलेखन डिक्टेशन में बोली गयी विषयवस्तु/गद्यांश को कम्प्यूटर पर लिप्यांतरण/प्रतिलेखन करने के लिए 35 मिनट का समय दिया जायेगा। यह लिप्यान्तरण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर होगा, जो 35 मिनट पश्चात स्वतः ही बन्द हो जायेगा और लिप्यांतरण किये गये गद्यांश को स्वतः सेव (Save) भी करेगा।

5– आशुलिपि परीक्षा का लिप्यांतरण करने से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक कम्प्यूटर स्क्रीन पर सम्बन्धित बॉक्स में लिखेंगे। तत्पश्चात Submit Button पर click करेंगे। उक्त के पश्चात अभ्यर्थी अपने Details as per record के अर्न्तगत अपना विवरण देख सकते हैं तथा अभ्यर्थियों के लिये दिये गये Instruction पर tick करने के पश्चात Proceed Further for Transcription पर click करके आगे बढेंगे।

6– यह सॉफ्टवेयर हिन्दी आशुलिपि लिप्यांतरण के लिए "Kruti Dev-10" एवं अंग्रेजी में "Times New Roman" Font में रहेगा। सॉफ्टवेयर में Cut, Copy, Paste व Insert द्वारा सिम्बल प्राप्त करने की सुविधा नहीं रहेगी। अभ्यर्थी सिम्बल बनाने के लिये "Shortcut key" का प्रयोग कर सकते हैं तथा पैराग्राफ बनाने के लिये Enter व Tab Key का प्रयोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पर कार्य करते समय माउस (Mouse) कार्य नहीं करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में लिखा गया शब्द संशोधित करना चाहता है तो वह "Arrow Key" के माध्यम से उस शब्द तक पहुंच कर संशोधित कर सकता है एवं 'बैकस्पेस–की' (Backspace-key) या ''डिलिट–की''(Delete-Key) का प्रयोग भी किया जा सकता है।

7– सॉफ्टवेयर पर निम्न की–कॉम्बीनेशन (Key Combinations) का प्रयोग भी वर्जित होगाः–

(i)-Ctrl+F4 (ii)- Alt+F4 (iii)- Ctrl+Esc (iv)- Ctrl+Alt+Delete

(v)- Alt+Tab (vi)- Alt+Space (vii)- Alt+Esc (viii)- Right Click Key

(ix)-Start (Window Key)+ Function Key

8– यदि अभ्यर्थी वर्जित की (Key) का प्रयोग करता है अथवा जानबूझकर कम्प्यूटर में संचित डाटा/सोर्स कोड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे बदलता है या उसे कम्प्यूटर से मिटा देता है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर इस परीक्षा से एवं आयोग की आगामी परीक्षाओं से भी प्रति वारित (Debar) किया जा सकता है तथा संबंधित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के विरूद्ध आई0टी0 एक्ट के अधीन भी कार्यवाही की जायेगी।

9– डिक्टेशन में बोले गये हिन्दी आशुलिपि के 400 शब्द तथा अंग्रेजी आशुलिपि के 500 शब्दों में 05 प्रतिशत अशुद्धियों की छूट दी जायेगी। 05 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि होने पर परीक्षार्थी को आशुलिपि परीक्षा में अनर्ह (Disqualify) माना जायेगा।

10– परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल फोन, पेजर एवं इलैक्ट्रानिक्स डिवाईस आदि किसी भी संचार यंत्र का प्रयोग वर्जित है।

11– अभ्यर्थी दूसरे के कम्प्यूटर स्क्रीन को न तो देखेंगे और ना ही आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत करते पकड़े जाने या नकल के प्रयास को अनुचित साधन का प्रयोग समझा जायेगा तथा अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

12– आशुलिपि के लिप्यांतरण हेतु अभ्यर्थी आवंटित कम्प्यूटर सिस्टम तथा की बोर्ड को भली–भांति चैक कर संतुष्ट हो जाये। यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान पूर्व में ही अवश्य करा लें।

13– हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलेखन का कम्प्यूटर पर लिप्यांतरण (Transcription) करते समय Font Size-20 रखा जाय तथा Line Spacing 1.5 रखी जाय।

14– जहां पर अभ्यर्थी द्वारा आशुलिपि का लिप्यांतरित गंद्याश समाप्त किया जाय, <u>वहीं पर अन्तिम पृष्ठ की मुहर लगायी जायेगी तथा कक्ष निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।</u>

15– दिव्यांगजन (LV, PB, B, OA) अभ्यर्थियों को लिप्यांतरण हेतु 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। (अर्थात लिप्यांतरण हेतु 45 मिनट का समय दिया जायेगा)

16– दिव्यांगजन (LV, PB, B, OA) अभ्यर्थी MS Word में Kruti Dev-010 अथवा Mangal Font में लिप्यांतरण करेंगे उनको मैन्यूली (Manualy) टाईप कराया जायेगा (अर्थात ऐसे अभ्यर्थी Software में लिप्यांतरण नहीं करेंगे) तथा उनको लिप्यांतरण के लिए 45 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।

17– आशुलेखन परीक्षा में कम्प्यूटर पर लिप्यांतरण हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अपना की–बोर्ड लाना चाहता है तो उसे केवल USB की–बोर्ड लाने की अनुमति होगी। तथा जो अभ्यर्थी अपना की–बोर्ड नहीं लाना चाहते उन्हें पूर्व की भांति आयोग द्वारा की–बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।